**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1801**

**06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ**

**विषय : बीमा कंपनियों का प्राप्त प्रीमियम और उनके द्वारा भुगतान किया नया मुआवजा**

**1801. चौधरी सुखराम सिंह यादवः**

**श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों के दौरान किसानों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत दावे में 57,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों को किसानों और सरकार से प्रीमियम के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों के लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)**

**(क) से (घ)** जी हां। किसानों ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत विगत तीन वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान 59000 रुपए से अधिक के दावों को प्राप्त किया है। इन तीन वर्षों के दौरान बीमा कंपनियों को प्राप्त प्रीमियम और उनके द्वारा भुगतान किए गए दावों के विवरण अनुबंध पर दिए गए हैं।

जहां तक बीमा कंपनियों के लाभ और नुकसान का प्रश्न है, सूचित किया जाता है कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसी) को छोड़कर अधिकांश सामान्य बीमा कंपनियां विभिन्न तरह के व्यवसाय/पॉलिसियां चला रही हैं। इस तरह इन कंपनियों के समग्र लाभ/नुकसान बीमा के इन विभिन्न क्षेत्रों में लाभ/नुकसान के कारण हैं। तथापि, फसल बीमा किसानों के लाभ के लिए एक प्रमुख जोखिम शमन उपकरण है। बीमा एक नियत अवधि और क्षेत्र के लिए जोखिम के विस्तार के लिए किया जाता है। पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के प्रावधान के अनुसार, जोखिम को स्‍वीकारने और दावे का भुगतान करने के लिए भुगतान किया जाता है। बीमा करने वाली कंपनी को अच्‍छे मौसमों/वर्षों में प्रीमियम की बचत होती है और यदि खराब वर्ष की स्‍थिति आती है तो उच्‍चे दावे का भुगतान अच्‍छे वर्षों के दौरान की गई बचत से किया जाता है। पीएमएफबीवाई के कार्यान्‍वयन के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सामान्‍य तौर पर अच्‍छा मानसून होने के बावजूद, वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान दावा अनुपात क्रमश: लगभग 77 प्रतिशत, 87 प्रतिशत और 87 प्रतिशत (अनंतिम) था। कुल मिलाकर तीन वर्षों के लिए समग्र दावें लगभग 83.66 प्रतिशत हैं। किन्‍तु सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों/राज्यों में उच्चतर दावें प्राप्‍त हुए हैं और दावा अनुपात खरीफ 2016 के दौरान इन राज्‍यों अर्थात् केरल 209 प्रतिशत, तमिलनाडु-104 प्रतिशत और कर्नाटक-138 प्रतिशत, रबी 2016-17 मौसम के दौरान तमिलनाडु-315 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश-176 प्रतिशत अधिक रहा । इसी तरह खरीफ 2017 के दौरान छत्‍तीसगढ़-452 प्रतिशत हरियाणा-270 प्रतिशत मध्‍य प्रदेश-166 प्रतिशत और ओडिशा 217 प्रतिशत राज्‍यों में दावा अनुपात अधिक रहा। रबी 2017-18 के दौरान उच्‍च दावा अनुपात राज्‍य ओडिशा (226 प्रतिशत), तमिलनाडु (141 प्रतिशत), छत्‍तीसगढ़ (124 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (158 प्रतिशत) थे। हालांकि खरीफ 2018 के लिए पूरे आंकड़े उपलब्‍ध नहीं है, तथापि उच्‍च दावा अनुपात की सूचना हरियाणा (140 प्रतिशत), उत्‍तराखंड (115 प्रतिशत), झारखंड (109 प्रतिशत) और छत्‍तीसगढ़ (124 प्रतिशत) के संबंध में मिली है। इसके अतिरिक्‍त पुनर्बीमा और प्रशासनिक लागत, जो सकल प्रीमियम का कुल 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत है, को भी संबंधित बीमा कंपनियों को वहन करना होता है।

**अनुबंध**

**पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा प्राप्त दावों और भुगतान किए गए दावों का विवरण**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **भुगतान किया गया प्रीमियम** | | | | **रिपोर्ट किए गए दावे** | **अनुमोदित दावे** | **भुगतान किए गए दावे** |
| किसान | राज्‍य सरकार | केन्‍द्रीय सरकार | सकल प्रीमियम |
| 2016-17 | 4225 | 8928 | 8740 | 21894 | 16773 | 16773 | 16767 |
| 2017-18 | 4396 | 10515 | 10445 | 25356 | 21937 | 21868 | 21825 |
| 2018-19 | 4879 | 12043 | 11925 | 28848 | 24352\* | 21883 | 20682 |
| **कुल** | **13500** | **31486** | **31110** | **76098** | **63062** | **60524** | **59274** |

\*रबी, 2018-19 के लिए कुछ फसलों/क्षेत्रों के दावें अंतिम रूप से तैयार नहीं हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*